न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 40 / 2006 / डिक्री

1. कालु पिता नन्दा मीणा – मृतक के बजाय
1. कंवरलाल पिता कालु मीणा
2. दुर्गा पुत्री कालु मीणा
3. रूपचन्द पिता कालु मीणा
4. मानीबाई पत्नि कालु मीणा

सभी निवासी पिपलियां कंला तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा
2. सुरेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल महाजन
3. रमेश पिता कन्हैयालाल महाजन
4. राजकुमार पिता कन्हैयालाल महाजन
5. समिर बाई पत्नि कन्हैयालाल महाजन

   सभी निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. सुशीला पत्नि हिम्मतसिंह जैन

   निवासी निकुम्भ तहसील बडीसादडी
7. सरेकंवर पत्नि पूनमचन्द जैन

   निवासी बडनगर।
8. सुमित्रा पत्नि रमेश चन्द्र जैन

   निवासी नीमच मध्यप्रदेश
9. हंसा पत्नि विमलचन्द जैन

   निवासी रतलाम मध्यप्रदेश
10. चन्दनबाला पत्नि यशवन्तीलाल जैन

    निवासी कानोड तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
11. लखमा पिता मंगना चमार
12. मोहन पिता मंगना चमार
13. रतनलाल पिता मंगना चमार

    तीनो निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 31.12.2005 प्रकरण सं. 03 / 2005

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–2,3,4,5

निर्णय दिनांक– 30.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा जलिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 478/2 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी अपीलान्टस के खातेदारी मे दर्ज है व अपीलान्ट अनुसूचित जन जाति के सदस्य है जिसको रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के वारिसान को दिनांक 24/06/70 को जरिये विक्रय पत्र 70,000/– अक्षेर सत्तर हजार रूपये मे विपक्षी रेस्पोडेन्ट 2 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने 80,000/– अक्षरे अस्सी हजार रूपये मे रेस्पोडेन्ट मगना, मोहन व रतनलाल को दिनांक 22/06/1974 को विक्रय कर दिया जिससे धारा 42 बी का उल्लघंन होने से विवादित आराजीयात बिलानाम दर्ज की जाकर कब्जे सरकार ली जावे जिसके आधार पर बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को वाद मे मर्ज करते हुए वाद पत्र डिक्री करने का निर्णय पारित कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपीलान्टस विवादित आराजीयात पर अपने स्वर्गीय पिता के समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के वारिसान को कभी भी कब्जा सुपुर्द नही किया गया, न ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के वारिसान ने लखमा, मोहन व रतनलाल को ही कब्जा सुपुर्द किया। वर्तमान मे अपीलान्टस विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की जांच किये विवादित आराजीयात बिलानाम सरकार कर जब्त सरकार करने का निर्णय पारित कर दिया जो विधि के विरूद्ध है। विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे भी अपीलान्टस ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे किसी भी परिस्थिति मे बिकाव सम्पूर्ण नही होता है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त हस्तान्तरण को आधार मानते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रस्तुत होने पर 4 तनकियात कायम की गई जिसमे तनकी नम्बर 1 वादी के जिम्मे एवं तनकी नम्बर 2,3 प्रतिवादी के जिम्मे की गई। वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने किसी भी परिस्थिति मे उक्त तनकी को साबित नही करवाया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र निरस्त करने का निर्णय पारित कर दिया।

इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट के पास आज तक उस भूमि का कब्जा है किसी ओर का आज तक इस भूमि पर कब्जा नही है। ऐसी सूरत मे उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित निर्णय दिनांक 21/12/2005 निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने भी मुख्य रूप से उपरोक्त कथनो का समर्थन किया।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अपील अपीलार्थी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया गया है जिसमे प्रत्येक बिन्दू पर रिकार्ड, मौका एवं विधिक पहलु को ध्यान मे रखकर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण मे धारा 42 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लघंन है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा ग्राम जलिया की आराजी नम्बर 278/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज करने एवं कब्जाराज लेने के सम्बन्ध मे पारित निर्णय दिनांक 31/12/2005 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने के कारण इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। फलतः उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 3/2005 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31/12/2005 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़